

18-07-14

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 74/13-14
सुरज प्रसाद वनाम् भोला सिंह

आदेश

आवेदक सुरज प्रसाद पिता स्व० विशुनदेव सिंह ग्राम किंजर थाना किंजर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर पर दखल कब्जा दिलाने एवं सीमांकन कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा किंजर थाना किंजर जिला अरवल में अवस्थित है, निम्न है:-

खाता नं०	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
23	80	5 कट्टा	उ०- विशुन सिंह द०- नन्दकिशोर सिंह पू०- नन्दकिशोर सिंह प०- विशुन सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) आवेदक के पिता स्व० विशुनदेव सिंह एवं विपक्षी भोला सिंह ने दिनांक 17.08.88 को खाता नं० 127, प्लॉट नं० 1628 रकवा 6 $\frac{1}{2}$ कट्टा एवं खाता नं० 23 प्लॉट नं० 80 रकवा 5 कट्टा भूमि आपस में निबंधित केवाला से बदलैन किये है।
- (2) बदलैन के पश्चात् उक्त भूमि का डिमाण्ड भी आवेदक के पिता के नाम पर खुला है जिसका जमाबंदी नं० 49/93-94 है।
- (3) बदलैन के पश्चात् आवेदक के पिता और वर्तमान समय में आवेदक को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा चला आ रहा था, जिसे विपक्षी बाजबरदस्ता बेदखल करने पर उतारू है।
- (4) विपक्षी ने अपने आपत्ति पत्र के पारा नं० 03 में स्वीकार किया है कि खाता नं० 127 प्लॉट नं० 1623 रकवा 6 $\frac{1}{2}$ कट्टा भूमि पर द्वितीय पक्ष दखल काबिज है। श्रीमान् का ध्यानाकर्षण कराना अत्यंत आवश्यक होगा कि उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष का था और बदलैन में द्वितीय पक्ष को मिला है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को दिनांक 17.08.88 को बदलैन से प्राप्त भूमि (विवादित भूमि) का नापी कराकर कब्जा दिलाया जाये।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि का बदलैन दिनांक 17.08.88 को हुआ, लेकिन वह बदलैन स्थल पर आज तक अमल में नहीं आया तथा उभय पक्ष प्रारंभ से अपने-अपने भूमि पर ही दखल काबिज रहे है तथा प्रतिवादी का भूमि का डिमाण्ड भी अंचल कार्यालय में पूर्ववत् कायम रहा है।

(2) निष्पादित बदलैन दस्तावेज पर भी यह स्पष्ट: वर्णित है कि यदि बदलैन अमल में नहीं आया तो उभय पक्ष अपने-अपने भूमि पर काबिज हो जायेंगे जबकि आज तक बदलैन भूमि पर उभय पक्ष में कोई भी पक्ष बदलैन भूमि पर दखल काबिज नहीं होकर अपने-अपने ही भूमि पर दखल काबिज रहे।

(3) प्रतिवादी विवादित भूमि पर इस वर्ष भी जिनोरा का फसल लगाये थे जो वर्तमान में कट चुका है तथा भूमि को जोत कर गेहूँ लगाने की प्रक्रिया प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा है।

(4) वादी द्वारा अपने वाद अर्जी में प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने के प्रयास का वर्णन किया है जबकि वाद अर्जी के अनुतोष में दखल कब्जा दिलाने का वर्णन किया है जो अपने आप में विरोधाभासी है।

(5) वादी द्वारा अपने वाद अर्जी में सीमा विवाद का कोई वर्णन नहीं किया है, जबकि माँगे गये अनुतोष के कंडिका 02 में भूमि का सीमांकन कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है, जो पूर्णतः प्रावधान के विपरीत है क्योंकि जब वादी के चौहद्दी में प्रतिवादी है ही नहीं तो भूमि के सीमांकन कराने का क्या विधिक औचित्य है।

(6) वाद में कोई Cause of Action नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उभय पक्षों के समक्ष मेरे द्वारा दिनांक 28.06.14 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया कि विवादित भूमि पर पूर्व में आवेदक का कब्जा था, परन्तु साल दो साल से विपक्षी जोत रहे हैं। स्पष्ट है, साल दो साल पहले आवेदक को विपक्षी द्वारा विवादित भूमि से बेदलख कर दिया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, स्थल जाँच एवं अभिलेख में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक के पिता ने विवादित भूमि को दिनांक 17.08.88 को विपक्षी से निबंधित बदलैननामा से प्राप्त किया है और राजस्व रसीद कटाकर दखल कब्जा में आये। विपक्षी का कहना है कि बदलैननामा अस्तित्व में नहीं आया। स्थल जाँच के उपरान्त यह माना नहीं जा सकता है। जब विपक्षी के द्वारा भूमि का हस्तांतरण वर्ष 1988 में ही कर दिया गया तो पुनः उस पर दावा उचित नहीं है।

अतः प्राधिकार विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार की प्रख्यापन करती है और विपक्षी को आदेश देती है कि वे एक माह के अंदर विवादित भूमि पर आवेदक को कब्जा सौंपें। साथ ही अंचल अधिकारी करपी को आदेश देती है कि वे एक माह के उपरान्त विवादित भूमि का नापी कराकर आवेदक के पक्ष में विवादित भूमि का पीलरींग करायें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी करपी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

18.07

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

18.07

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।